THE DEPUTY CHAIRMAN : No, I won't ask him. Please sit down. Enough is enough..*(Interruptions)*.. No; you people have stalled the working of the House the whole day. I won't permit anything and I won't allow you to speak a word. I will take the senese of the House and I will call for voting whether the House should be adjourned or whether we should go ahead. ..*(Interruptions)*.. I am very peacefully asking everybody to take his seat. Since morning you have been shouting slogans in this House. Is it proper behaviour ? And then you point out that somebody should sit down ! What about your behaviour the whole day ? ..*(Interruptions)*.. Please keep quiet. Enough is enough...*(Interruptions)*..

आप यहां चोरों की बात करते हैं। इस हाउस में कभी चोर का लफ्ज नहीं बोला जाता।

It is unparliamentary. Don't you think that you have also violated ? ....*(Interruptions)*.........

THE CONSTITUTION (SEVENTIETH AMENDMENT) BILL, 1990

THE DEPUTY CHAIRMAN : Legislative Business. Bills for withdrawal. Shri Hans Raj Bhardwaj.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): Madam, I beg to move for leave to withdraw the Constitution (Seventieth Amendment) Bill, 1990.

The question was proposed

श्री सिकन्दर बख्त (विपक्ष के नेता) : मेडम, यह क्या हो रहा है ?

उपसभापति : : I am trying to settle the matter. They don't allow anybody to function at least and keep on shouting in the House. There is a limit ...*(Interruptions)*... No; I am sorry.

(श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहिबा, यह चीनी का मामला क्या कल लिया जाएगा और यह जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या उसे दरमियान में तोड़कर फिर लिया जा गा ? यह क्या हो रहा है ? हर चीज का सीक्वेंस टूट रहा है।

شری سکندر بخت : صدر صاحبہ یہ چینی کا
معاملہ کیا کل لیا جائے گا۔ اور یہ جو سلسلہ
شروع ہوا ہے تو کیا اسے درمیان میں توڑ کر
پھر لیا جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہر چیز کا
سیکونس ٹوٹ رہا ہے۔

THE DEPUTY CHAIRMAN : We will discuss it. The motion is moved. Do you want to speak ?

SHRI SIKANDER BAKHT : What motion is moved ?...*(Interruptions)*.. We are going to oppose that motion. Do you want us to oppose it into this sort of atmosphere ? ..*(Interruptions)*..

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (Haryana) : You oppose the motion.

उपसभापति : बोलिए, सिकन्दर बख्त साहब, आपका नाम है। अभी बिल्कुल खामोशी से सुनिए। बहुत शोर हो गया इस हाउस में।

श्री **सिकन्दर बख्त** : सदर साहिबा, यह मिनिस्टर साहब ने जो मोशन किया है। जो दो बिल इस हाउस में थे, उनके विदड्रावल का मोशन किया है।

شری سکندر بخت : میڈیم پریزیڈنٹ
صدر صاحبہ یہ منسٹر صاحب نے جو موشن
کیا ہے جو دو بل اس ہاؤس میں تھے ان کے
وڈرال کا موشن کیا ہے۔

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : एक किया है।

[†] Transliteration in Arabic Script.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Seventy-First Amendment Bill.

श्री सिकन्दर बख्त : जो बात की, खुदा की कसम लाजवाब की । कोई मुकाबला नहीं है ।

شری سکندر بخت : جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی ۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے ۔

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैडम, मेरा आब्जेक्शन इस बात पर है कि लिस्टेड बिजनेस में जो पहले बिल आए हैं—कांस्टीटयूशन अमेंडमेंट बिल 1990 और रिप्रजेंटेशन आफ दि पीपुल्स अमेंडमेंट बिल 1990, उनको छोड़कर सप्लीमेंटरी बिल ला दिया गया है । उसके विद्ड्रावल की बात हो रही है । यह गलत है । पहले उन पर बहस हो जाए, उसके बाद इसे लेना चाहिए । मैंने सुबह भी आपसे निवेदन किया था इनफार्मली कि हमको चाहिए कि बिजनेस लिस्ट वाकायदा आए । यह सीक्रेटली वहां से लाकर एकदम करना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गैर-वाजिब है । इसलिए जो सप्लीमेंटरी बिल आया है 71वां वाला जिसका कि ये विद्ड्रावल करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह गलत है ।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, यह बिल्कुल गलत बात है । मैंने देखा नहीं है । यह हाउस की कार्यवाही का मजाक हो रहा है । यह कहां से आ गया ? लिस्टेड बिजनेस में कुछ और है, यहां कुछ और आ गया है ।

Don't make a fun of the House please. It is not right.

क्या मतलब है इसका ? नहीं सदर साहिबा, कोई मतलब नहीं है ।

شری سکندر بخت : صدر صاحبہ ۔ یہ بالکل غلط بات ہے ۔ میں نے دیکھا نہیں ہے یہ ہاؤس کی کارروائی کا مذاق ہو رہا ہے یہ کہاں سے آگیا ۔ لسٹڈ بزنس میں کچھ اور ہے یہاں کچھ اور آگیا ہے ۔

کیا مطلب ہے اس کا ۔ نہیں صدر صاحبہ کوئی مطلب نہیں ہے ۔

उपसभापति : मैं मालूम करूंगी । Please let me clarify it.

श्री सिकन्दर बख्त : हम पढ़कर कुछ आए हैं, यहां लाकर कुछ रख दिया है, इसके मायने क्या हैं ?

شری سکندر بخت : ہم پڑھ کر کچھ اور آئے ہیں یہاں لاکر کچھ رکھ دیا ہے ۔ اس کے معنی کیا ہیں ۔

It is absolutely absurd. It is not right at all.

हर चीज को अपनी कनवीनिएंस का तरीका बना लिया है । अगर आपका बिजनेस लाना है तो एज इट इज लिस्टेड बिजनेस को लीजिए ।

ہر چیز کو اپنی کنوینینس کا طریقہ بنا لیا ہے اگر آپ کو بزنس لانا ہے تو "ایز اٹ از لسٹڈ بزنس" کو لیجیے ۔

उपसभापति : इतना शोर मचता है तो कुछ समझ में नहीं आता । आपने कौनसा वाला बिल विद्ड्रा किया है ?

SHRI H. R. BHARDWAJ : Madam, I have read out item No. 1, that is, the Constitution (Seventieth

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

Amendment) Bill, 1990, which has gone on record.

उपसभापति : सेवेण्टोथ किया है । करेक्ट किया है, माथुर साहब ।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, जब पूछा गया तो 71 का जिक्र हुआ । एक कागज भी हमारे हाथ में पकड़ा दिया । तो यह हुआ । क्या तमाशा है... (**व्यवधान**) ...

شری سکندر بخت : صدر صاحبہ - جب پوچھا گیا تو ۷۱ کا ذکر ہوا - ایک کاغذ بھی ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا - تو یہ ہوا - کیا تماشہ ہے ... "مداخلت" ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is a compounded confusion. बोलिए । कोई बात नहीं ।

SHRI SIKANDER BAKAT : Madam, I rise to oppose this move to withdraw the Constitution (Seventieth Amendment) Bill, 1990, which was introduced in the Rajya Sabha by the then Law Minister in 1990.

मदर साहिबा, न तो यह गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेटिव बिजनेस को प्लेन कर सकती है और न यह अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अखलाकी जिम्मेदारी को मानने के लिए तैयार है । सदर साहिबा, मैंने अर्ज किया कि यह गवर्नमेंट अपना लेजिस्लेटिव बिजनेस प्लेन करना नहीं चाहती । वैसे तो हम यह तमाशा हफ्तेवार अकसर देखते रहते हैं लेकिन इस दफा तो कमाल हो गया। कुछ नये बिल लाने की तजवीज सरकार के जेरे-गौर थी । यह कब तक जेरे-गौर रही, कब मशविरे शुरू हुए कब यह सरकार ख्वाबे-खरगोश से जागी ? वक्त नहीं रहा तो बिल को पेश करने की कोशिश में कोशिशें शुरू हुईं ।

[उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : पीठासीन हुए] सदर साहब, और वह बिल भी सब के आखिरी दिनों में लाए गए । नहीं पेश कर सके तो हाउस एडजार्न हुआ और साइनाडाइ नहीं हुआ । तय किया कि एक महीने के बाद हाउस तीन दिन के लिए मिलेगा, क्योंकि गहरी नींद से जागे थे इसलिए । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री एच० हनुमनतप्पा (कर्णाटक) : एक मिनट । विदड्रा में यह सारी बात कहां से आ गयी । विदड्रा के बारे में आप बोलिये । यह आप इंटरोडक्शन में बात कर सकते हैं । यह तो **विदड्रा** के लिये हैं । . . . (**व्यवधान**)

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब, मैंने आनरेबिल मेंबर का एतराज सुना और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वह सौ फीसदी इस बात से मुतालिक है, जो बात आनरेबिल ला-मिनिस्टर ने शुरू की है यानी विदड्राल की दरख्वास्त इस हाउस से की है, **मेरी** बात उससे मुतालिक है और वहीं आकर खत्म होगी ।

मैं इस सरकार की बौखलाहट का आलम आपके सामने बताना चाहता हूं । मैं यह अर्ज कर रहा था कि हाऊस साइनाडाइ एडजोंन नहीं हुआ । तय किया कि एक महीने के बाद यह हाऊस फिर मिलेगा, फिर तीन दिन के लिये मिलेगा । क्योंकि गहरी नींद से जागे थे, इसलिये घबराहट का आलम था । नींद भी कई किस्म की होती है । कभी कभी दोहरी, तिहरी होती है । एक झटका और लगा तो एक अन्दरूनी आंख खुल गई । यू० टी०, यूनियन टैरीटरी में कुछ सिविक मामलात के संबंध में इनको कोई बिल लाना चाहिये था, नहीं ला सके । वक्त निकल रहा था । क्या करें ? तो आर्डिनेंस की सूझी । जब हाउस साइनाडाइ एडजोर्न नहीं हुये थे तो हाऊस सेसन में था । किस तरीके से लायें, क्या करें ? तो एक नया रंग दिखाया, जीनियस की बात है । इस सरकार की जीनियस जगह जगह नजर आती है । जीनियस की बात, कि जब हाऊस . . . (**व्यवधान**)

شری سکندر بخت : صدر صاحبہ نہ تو یہ گورنمنٹ اپنے لیجسلیٹیو بزنس کو پلین کر سکتی ہے اور نہ یہ اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لئے

اخلاقی ذمہ داری کو ماننے کیلئے تیار رہے۔

صدر صاحبہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ گورنمنٹ اپنا بجنس منیجر بزنس پلان کرتا نہیں جانتی۔ ویسے تو ہم یہ تماشہ ہفتہ وار اکثر دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس ہفتہ تو کمال ہو گیا۔ کچھ نئے بل لانے کی تجویز سرکار کے ذہن میں تھی یہ کب تک زیر غور رہی۔ کب مشورے شروع ہوئے۔ کب یہ سرکار خواب خرگوش سے جاگی وقت نہیں رہا تو بل کو پیش کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔

(اپ سبھا ادھیکش "سید سبط رضی" پیٹھاسین ہوئے۔)

صدر صاحب۔ اور وہ بل بھی سیشن کے آخری دنوں میں لائے گئے۔ نہیں پیش کر سکے تو ہاؤس ایڈجارن ہوا اور سینے ڈائی نہیں ہوا۔ طے کیا کہ ایک مہینے کے بعد ہاؤس تین دن کے لئے پھر ملے گا کیونکہ گہری نیند سے جاگے تھے اس لئے

... "مداخلت" ...

شری ایچ۔ ہنومن تھپا: ایک منٹ۔ ڈورا نیا یہ سو رکی بات کہاں سے آ گئی۔ ڈورا کے بارے میں آپ بول لئے۔ یہ آپ انٹراڈکشن میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو ڈورا کے لئے ہے ... "مداخلت" ...

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ میں نے آنریبل ممبر کا اعتراض سنا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سو فیصدی اس بات سے متعلق ہے۔ جو بات آنریبل منسٹر نے شروع کی ہے یعنی ڈورا کی درخواست اس ہاؤس سے کی ہے میری بات اس سے متعلق ہے اور ڈورا آکر ختم ہو گی

میں اس سرکار کی بوکھلاہٹ کا عالم آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاؤس سینے ڈائی نہیں ہوا۔ طے کیا کہ ایک مہینے کے بعد یہ ہاؤس پھر ملے گا۔ پھر تین دن کے لئے ملے گا۔ کیونکہ گہری نیند سے جاگے تھے، اس لئے گھبراہٹ کا عالم تھا۔ نیند کبھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دوہری تہری ہوتی ہے۔ ایک جھٹکا اور لگا تو اندرونی آنکھ کھل گئی۔ یو۔ ٹی۔ یونین ٹیریٹری میں کچھ سیاسی معاملات کے سمبندھ میں ان کو بل لانا چاہئے تھا نہیں لا سکے۔ وقت نکل رہا تھا۔ کیا کریں۔ تو آرڈیننس کی سوجھی جب ہاؤس سینے ڈائی ایڈجارن نہیں ہوئے تھے تو ہاؤس سیشن میں تھا۔ کس طریقے سے لائیں۔ کیا کریں۔ تو ایک نیا رنگ دکھایا۔ جینیس کی بات ہے۔ اس سرکار کی جینیس جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ جینیس کی بات۔ کہ جب ہاؤس ... "مداخلت" ...

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Sir, I am on a point of order.

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): He is on a point of order.

SHRI MADAN BHATIA: I want to draw the attention of this hon. House to rule 119. Rule 119 says, "Procedure when motion of withdrawal of Bill opposed". Now, there is a motion before this hon. House moved by the hon. Minister for the withdrawal of the Constitution (Seventieth Amendment) Bill, 1990.

SHRI MADAN BHATIA: There is a procedure prescribed by Rule 119 if there is any opposition to a motion for withdrawal of the Bill. Rule 119 says:

"If a motion for leave to withdraw a Bill is oppossed, the Chairman may, if he thinks fit, permit the member who moves and the member who opposes the motion to make brief explanatory statements and may thereafter without further debate, put the question."

(Interruptions)

There are three conditions prescribed by Rule 119. Firstly, if the Chairman thinks fit, only then the permission to oppose can be given, If the Chairman thinks that permission is not required to be given, it is the discretion of the Chairman not to give permission. Secondly, if this permission has been granted, then what follows? The hon. Minister, who moves the motion for withdrawal of the Bill, will be given an opportunity to make a short explanatory statement and then the Member who opposes the motion, can make only a short explanatory statement. Thirdly, there should be no debate. After that the motion has to be put to vote. There can be no debate. There should be short explanatory statements by the mover of the motion and by the opponent of the motion. There should be no debate at all. My point of order is this. The entire speech of the hon. Member is not an explanatory statement. It is a debate. This cannot be permitted. This is my point of order.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: He is only making an explanatory statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I think the matter which is being discussed is quite in order. Mr. Bakht, my request is that you try to be a little brief.

श्री सिकन्दर बख्त : मैं जो बात कहना चाह रहा था और जिसमें कि यह जल्दी हो गई और वह बुनियादी बात इसी मोशन से ताल्लुक रखती है कि एक साथ में हाउस प्रोरोग भी हो गया, आर्डिनेंस भी निकल गया और दोबारा से हाउस बुला भी लिया गया । सदर साहब, यह मजाक इंतहाई दूर तक चला गया है और पार्लियामेंट का मजाक होने लगा है ।

We would really like to know how far this Government intends to go to punish the persons responsible. माशाअल्लाह , 6–6 पार्लियामेंटरी मिनिस्टर्स हैं, इतनी तादाद पार्लियामेंटरी मिनिस्टर्स की कभी बनी ही नहीं । यह जो रोजाना एक उलझन का खेल बनता है कि ये लोग अपना काम प्लांड नहीं कर सकते और तमाम पार्लियामेंटरी एक्टिविटीज को एक मजाक का जरिया बना दिया है कि सेशन के दौरान हाउस कभी प्रोरोग नहीं हुआ है । सदर साहब, ये दोनों, असल में तो एक ही बिल कहा है आपने, दिनेश गोस्वामी बिल, जो इस हाउस में पेश हो चुका है, उसकी कैफियत सिर्फ रिकमेंडटरी नहीं थी । मैं वह नाम पढ़कर सुना सकता हूं कि जिन-जिन पार्टियों के नेताओं ने दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट की यूनेनिमस रिकमेंडेशंस फ़ेम की और इस हाउस में पेश की, मैं उसको एक पालिटिकल मोरल कमिटमेंट मानता हूं । इस गवर्नमेंट ने जगह-जगह अपनी कमिटमेंट से मुंह फेरा है ।

شری سکندر بخت: اس گورنمنٹ نے جگہ جگہ اپنی کمٹمنٹ سے منھ پھیرا ہے۔

I insisted that they were not mere recommendations. They were commitments to some principles of electoral reforms relating to democratic polity. The present Government is a party to this commitment. It has been signed by the leaders of the ruling party as well as by the leaders of a unmber of Opposition parties.

यह कमिटमेंट सिर्फ दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमंडेशन पर खत्म नहीं होती है। विजय भास्कर रेड्डी साहब इस मौजूदा गवर्नमेंट के लां मिनिस्टर थे।.... (व्यवधान)

یہ کمٹمنٹ صرف دنیش گوسوامی کمیٹی کی رکمنڈیشن پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ وجے بھاسکر ریڈی صاحب اس موجودہ گورنمنٹ کے لاء منسٹر تھے ... "مداخلت" ..

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Sir, a point of order. My point of orders relates to the statement not having been made by Mr. Bhardwaj. He is withdrawing a particular Bill. Now, why is he withdrawing it?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I am not permitting you. That stage is past. At the time when the Motion was taken up, you should have raised your objections?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: When Mr. Bhatia raised a point of order, at that time, I realised that the Minister was supposed to make a statement that he was withdrawing the Bill. You want me to vote on it without understanding what it contains....

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I got your point (*Interruptions*)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I am just asking what it is that he is withdrawing. I think I should know it before I vote on it. It is a serious matter. We cannot recollect what happened two years before. I do not know how many Members know about the Bill...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : The Minister is yielding.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): I think that the hon. Member is not right. My statement had been circulated to all the Members much before my moving the Motion. It cannot be said......(*Interruptions*) It has been circulated to every Member ..(*Interruptions*)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I have not got it.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): As the hon. Minister has stated, I also have a copy of the statement. So, I presume that the staement has already been circulated ...(*Interruptions*)...Please take your seat...(*Interruptions*)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: My point is whether it can be taken as read when it is merely circulated. This is not the precedent. Whatever be the statements, they are read in the House. Otherwise, you can circulate hundreds of things, but they cannot become a part of the record.....(*Interruptions*) Mr. Chairman, Sir, I want to know whether any paper circulated can be taken as read in the House......

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I have got your point. Please take your seat ..(*In-*

terruptions) Yes, the Chair has got your point. Please, let me say something...(*Interruptions*)

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): What is the statement? If it is a statement which we have got regarding the 70th Constitution Amendment Bill, we cannot withdraw what we have done. We can only rescind: we can only repeal but we cannot withdraw anything that has been done by us.

SHRI H. R. BHARDWAJ: If the hon. Member has not received a copy of it, it can be circulated...(*Interruptions*)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: You read out the statement just now if you want to enlighten us about it, you please read it out...(*Interruptions*)

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): I have a point of order...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Is it any fresh point of order or is it the same thing?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: What happened to my point of order?

SHRI G. SWAMINATHAN: I want to know when the paper was circulated. Did it go along with the Parliamentary papers? Why I am asking this is because I have not got the paper except a small statement regarding withdrawal of a Bill, which has just now been given. So, was it sent along with the Parliamentary papers (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I am sorry. I cannot hear two persons at a time...(*Interruptions*)

SHRI G. SWAMINATHAN: I want to know whether the paper that the hon. Minister of State for Law, Justice and Company Affairs is mentioning had been circulated with the Parliamentary papers. I don't think that I have received it. I just want to know when it was circulated.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, on 12th May, 1994, along with all the Parliamentary papers, the list of business circulated contained this statement also giving all the details in advance.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): You please take your seat. I have got the point made by the hon. Member. As reported by the Secretariat and as stated by the hon. Minister, the explanatory statement had already been circulated ...(*Interruptions*)...

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार): यह पार्लियामेंटरी पेपर्स के साथ भेजा गया है।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): मैंने आपसे पूछा यह सर्कुलेट हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रोसीडिंग्ज का पार्ट है।

SOME HON. MEMBERS: No, Sir, Nobody has received...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Let me complete. I understand that the explanatory statement was circulated on 12-5-1994 ...(*Interruptions*)...Let me complete. Please let me complete. So, it appears that it was circulated some time ago and it might have been overlooked by the hon. Members in the other parliamentary papers. I request the Minister and the Leader of the Opposition who raised this point to yield for some time for refreshing the memory of the hon. Members. Mr. Minister, you please read out the explanatory statement again.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Members will recall that the Constitution (Seventy-First Amendment) Bill, 1990

[Shri H.R. Bhardwaj]

was passed by Rajya Sabha on 29th February 1990...(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I think the copy might not have been read at that time.

SHRI H. R. BHARDWAJ: The Bill provided for fresh delimitation of the constituencies on the basis of the 1991 Census.

SHRI SIKANDER BAKHT: What are you reading Mr. Minister? Mr. Vice-Chairman, he seeks to withdraw the Constitution (Seventieth Amendment) Bill, 1990. But he is reading some other statement, not of the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Let him check up.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : 70वां अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं ? कौन सा पढ़ रहे हैं ये ?

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : इसलिए हमने कहा कि सदन को एडजोर्न कर दें ताकि मंत्री महोदय को भी पढ़कर आने का मौका मिल सके । (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): The Minister is trying to check up his record. Let him check up his record.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Let him come with his papers in order. He should come to the House well prepared.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Mr. Vice-Chairman, Sir, as the hon. Members are aware, the then Government has introduced the Representation of the People (Amendment) Bill, 1990 and the Constitution (Seventieth Amendment) Bill, 1990 to give effect to certain recommendations of the Dinesh Goswami Committee.

The Constitution (Seventieth Amendment) Bill, 1990 provided for amendment of article 324 of the Constitution of India and the Representation of the People (Amendment) Bill, 1990 provided for making certain amendments to the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951.

The present Government after taking into account the various recommendations made by the Dinesh Goswami Committee on electoral reforms, the proposals received from the Election Commission of India and the views expressed by the political parties, have decided to bring forward a comprehensive Constitution (Amendment) Bill to provide for delimitation of constituencies and for amendment to article 324 of the Constitution of India. It has also decided to bring forward a comprehensive Representation of the People (Amendment) Bill to make certain amendments in the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951. These two Bills have been formulated after taking into account the provisions contained in the two pending Bills and the Government, therefore, proposes to withdraw the said two pending Bills.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: This is totally unsatisfactory. Why are you withdrawing the Bills? The point is, what is wrong with the Dinesh Goswami Report to which your party has also agreed? Therefore I want to know what the objectionble point is in respect of the Dinesh Goswami Report. In fact, all the parties have agreed with the Dinesh Goswami Report. Its report was endorsed by all the political parties. Therefore, why are you withdrawing it now?...(*Interruptions*) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please take your seat. I am not allowing you now to ask the Minister. Please take your seat.

श्री सिकन्दर बख्त : आनरेबल मेंबर ने तो कहा कि दिनेश गोस्वामी कमेटी

की † रिकमेंडेशंस में क्या बुरी चीज थी कि वह विदड्रा कर रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह गवर्नमेंट अपने कमिटमेंटस पर कायम क्यों नहीं रह सकती है ? मैंने आपसे कहा कि दिनेश गोस्वामी कमेटी की युनैनिमस रिपोर्ट पर दस्तख्त करने वालों में एल०के० आडवाणी, सोमनाथ चटर्जी, इद्रजीत, वी०के०सी० दवे, शकधर साहब, एच०के०एल० भगत साहब, ये सब लोग शामिल थे । मैं पुरानी बात कर रहा हूं. . . (**व्यवधान**)

شری سکندر بخت : آنریبل ممبر نے تو کہا کہ دنیش گوسوامی کمیٹی کی رکمنڈیشنس میں کیا بری چیز تھی کہ وہ وڈڈرا کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ گورنمنٹ اپنے کمٹمنٹ پر قائم کیوں نہیں رہ سکتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ دنیش گوسوامی کمیٹی کی "یونینمس رپورٹ" پر دستخط کرنے والوں میں ایل۔ کے۔ اڈوانی۔ سومناتھ چٹرجی۔ اندرجیت۔ وی۔ کے۔ سی۔ دوے۔ شکدھر صاحب۔ ایچ۔ کے۔ ایل بھگت صاحب یہ سب لوگ شامل تھے۔ میں پرانی بات کر رہا ہوں۔۔۔ "مداخلت"

मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इसमें आप की सरकार के भी जिम्मेदार लोग शामिल थे । आप लोग कमिटेड हैं । इस कमिटमेंट को छोड़ें । मैं दूसरे कमिटमेंट का जिक्र करना चाहता हूं । विजय भास्कर रेड्डी साहब जो यहां मौजूद थे, रूलिंग पार्टी के ला मिनिस्टर साहब ने 12 जुलाई को. . . . . .

شری سکندر بخت : میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کی سرکار کے بھی ذمہ دار لوگ شامل تھے۔ اس کمٹمنٹ کو چھوڑیں۔ میں دوسرے کمٹمنٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وجے بھاسکر ریڈی صاحب جو یہاں موجود تھے۔ رولنگ پارٹی کے لا منسٹر صاحب نے ۱۲ جولائی کو۔۔

श्री चतुरानन मिश्र : श्रीमन, मेरा इसमें एक प्वाइंट आफ आर्डर है । इन्होंने हमारी पार्टी के नेता का नाम लिया और कहा कि उन्होंने दस्तख्त किये थे । वह दस्तख्त बाबरी मस्जिद टूटने के पहले किये थे ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं आनरेबल मेंबर साहब की खुशमिजाजी की दाद देता हूं । . . . (**व्यवधान**)

شری سکندر بخت : میں آنریبل ممبر صاحب کی خوش مزاجی کی داد دیتا ہوں۔۔۔ "مداخلت"

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : यह रिपोर्ट बाबरी मसजिद की थी ? . . . (**व्यवधान**)

We never thought that the Dinesh Goswami Committee report was on Babri Masjid-Ram Janmabhumi, the report which your leader signed blindly.

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब 12 जुलाई, 1991 को दूसरे सदन के अन्दर विजय भास्कर रेड्डी साहब ने क्या कहा, यह मैं कोट करना चाहता हूं—

شری سکندر بخت : صدر صاحب ۱۲ جولائی ۱۹۹۱ء کو دوسرے سدن کے اندر وجے بھاسکر ریڈی صاحب نے کیا کہا یہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

[श्री सिकन्दर बख्त]

"The intention of the Government is to go through these electoral reform Bills as early as possible, that is these Bills which are sought to be withdrawn will be pressed."

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): He cannot read something that was spoken in the other House.

SHRI SIKANDER BAKHT: All right, don't hide behind that.

लॉ मिनिस्टर का कमिटमेंट है । उन्होंने कहा है –

that he will press for the recommendations.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Chair has already ruled that there should not be a debate in this House on the subject.

SHRI SIKANDER BAKHT: Wherever he has done it, he did it in a formal forum. That is what I am insisting upon.

SHRI V. NARAYANASAMY: He is going on making a *lamba bhashan* here.

SHRI SIKANDER BAKHT: He said, "We broadly agree with these recommendations and we are going to press for them and get them passed." This is a very serious commitment. And this Government has become used to going back on their commitments. I want to know: Why is this Government bent upon denigrating the independent, autonomous institutions? Why does this Government want to use autonomous institutions for their narrow, short-sighted political conveniences? Why is this Government bent upon destroying the political and democratic values of the country?

SHRI MADAN BHATIA: Sir, all that the hon. Member is saying does not fall within the rule.

SHRI SIKANDER BAKHT: Morality in political functioning and legislative business is totally lost to them.

SHRI MADAN BHATIA : Sir, I am on a point of order.

SHRI SIKANDER BAKHT: They do not even feel ashamed.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. Sikander Bakht...

SHRI MADAN BHATIA: He has to make only a brief explanatory statement on the motion.....(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): It is the right of the Member to stand on a point of order. This is my jurisdiction. It is not the discretion of the Member. It is the discretion of the Chair.

SHRI MADAN BHATIA: Sir, he is going completely outside the rule. The rule is very clear that the right of the hon. Member is only to make a brief explanatory statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I have already noted it.

SHRI MADAN BHATIA: What he is saying is completely outside the rule.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I have noted and he is acting according to it. Please try to be brief.

SHRI SIKANDER BAKHT: I am finishing, Sir.

The BJP considers that the move to withdraw these Bills is against the commitment made by the Government twice is against all norms of legislative morality, is in the spirit of denigrating autonomous institutions, is anti-democratic. Therefore, the BJP presses that the move to withdraw these Bills be dropped. Thank you, very much.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष जी, विधि मंत्री जी ने संविधान के 70वें संशोधन विधेयक 1990 को सदन में वापस लेने की अनुमति चाही है।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) : मेरा ख्याल है कि सदन भाटिया जी को दोबारा खड़ा नहीं होने देगी और जल्दी अपनी बात कहेंगी।

†[اپ سبھا ادھیکش (شری سید سبط رضی): میرا خیال ہے کہ سدن بھاٹیا جی کو دوبارہ کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ اور جلدی اپنی بات کہیں گے۔]

श्रीमती सुषमा स्वराज : बिल्कुल नहीं यदि मुझे बीच में नहीं टोका गया तो मैं तीन चार मिनट में अपनी बात प्रासंगिक कुछ प्वाइंट कहकर इसका विरोध करूंगी।

महोदय, मैं कह रही थी कि विधि मंत्री जी ने संविधान के 70वें संशोधन विधेयक को सदन में वापस लेने की अनुमति चाही है। आप जानते हैं कि जब भी किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है या वापिस लिया जाता है तो उसके उद्देश्यों और कारणों का बताना बहुत जरूरी है। जैसा कि विधि मंत्री जी ने कहा, मैं बिल्कुल उस वहम में नहीं पड़ना चाहती, वाकई 12 मई को एक स्टेटमेंट इनका सरकुलेट हुआ था और मैं सदन के सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगी कि उस स्टेटमेंट के बूते पर वो इन बिलों को वापस लेना चाहते थे इसलिये एक विवाद उठ खड़ा हुआ था, कहा गया था कि एक मोशन जब तक विदड्राल का नहीं आयेगा तब तक यह बिल वापस नहीं हो सकते हैं। स्टेटमेंट के बूते पर बिल पास नहीं किये जा सकते। वही स्टेटमेंट उनका मैंने बहुत सुरक्षित रख रखा है। वह स्टेटमेंट मेरे हाथ में मौजूद है जिसमें इन्होंने तीन कारण बताये हैं इस बिल को वापस लेने के बारे में। वे तीन कारण हैं—

The present Government, after taking into account the various recommendations made by the Dinesh Goswami Committee on Electroral Reforms

यानी दिनेश गोस्वामी कमेटी की चुनाव सुधारों पर दी गई विभिन्न सिफारिश को मद्देनजर यह बिल वापस ले रहा हूं। दूसरा है—

proposals received from the Election Commission of India

यानी स्वयं भारत के चुनाव आयोग से इन्हें कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। तीसरे, views expressed by political parties. The Government have decided to bring forward a Constitution Amendment Bill.

इनका कहना है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी की कुछ अनुशंसायें, कुछ सिफारिशों के मद्देनजर, चुनाव आयोग से मिले हुये कुछ प्रस्तावों के मद्देनजर और विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यूज, विचारों के मद्देनजर यह एक कम्परीहेंसिब बिल क्योंकि लाना चाहते हैं इसलिये इन बिलों को यह वापस ले रहे हैं। खासतौर पर अभी क्योंकि संविधान का 70वां संशोधन वापस ले रहे हैं इसलिये मैं अपनी बात को इसी तक सीमित रखती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि जो तीन कारण आपने बताये हैं जरा इन कारणों की हम समीक्षा कर लें। पहला कारण यह है कि दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के मद्देनजर। विधि मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पुराना बिल 70वां संशोधन विधेयक है वह तो स्वयं गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उस बिल के तहत उन्होंने यह प्रावधान किया था:

"......the President, after consultation with the Chairman of the Council of States, the Speaker of the House of the People and the Leader of the Opposition in the the House of the People recognised

†[] Transliteration in Arabic Script.

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

as such under any law made in this behalf by Parliament and if there is no such Leader of the Oppostion, the leader of the party in opposition to the Government having the greatest strength in that House."

यानी जो 70वां संशोधन विधेयक आप वापस लेने जा रहे हैं उसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अध्यक्ष, लोकसभा, सभापति महोदय, राज्य सभा और विपक्ष के नेता के साथ, सहमति के साथ बातचीत करने के बाद सलाह मश्विरा से करेंगे । यह श्री दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश जिसमें इन तमाम नेताओं के दस्तख्त हैं,चाहे बाबरी मस्जिद के पहले और चाहे बाबरी मस्जिद के बाद, मुद्दा बदल नहीं गया बाबरी मस्जिद के बाद । तमाम के तमाम नेताओं के दस्तख्त हैं इस पर । अगर किसी एक चीज पर सर्वानुमति बनी है सारी पालिटिकल पार्टीज की तो इन सिफारिशों पर बनी है । लेकिन आज दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के नाम पर यह बिल तो वापस लिया जा रहा है और जो बिल इंटरोडयूस किया जा रहा है जो सरकुलेट हुआ है लोक सभा के मेंबरों को उसमें ये तीनों प्रावधान उड़ा दिये गये हैं तो आप दिनेश गोस्वामी की सिफारिशों पर नहीं दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों की धज्जियां उड़ा कर नया बिल ला रहे हैं । दूसरा कारण आपने कहा है चुनाव आयोग से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर । (**व्यवधान**) मैं विधि मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में चुनाव आयोग ने कौन से प्रस्ताव आपको भेजे हैं जिसके आधार पर आप यह बिल वापस ले रहे हैं? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में चुनाव आयोग का यह कहना है कि इन तीनों से सलाह मश्विरा न लिया जाय और तीनों प्रावधान उड़ा कर नया बिल लाया जाये ? अगर चुनाव आयोग से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुवा है तो उसके सबूती दस्तावेज विधि मंत्री जी सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें हम उसको देखना चाहेंगे । लेकिन अपनी जानकारी के आधार पर मैं यह कहना चाहती हूं कि चुनाव आयोग से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिये दूसरा इनका तर्क भी सत्य से परे है और तथ्य से परे है । जहां तक तीसरे सवाल का संबंध है – ब्यूज एक्सप्रेस्ड वाई पालिटिकल पार्टीज तो आप देख लीजिये चारों तरफ असहमति ही असहमति नजर आयेगी बाकी तमाम दलों के माध्यम से । तीनों जो तर्क दिये हैं तर्क सत्य से परे हैं, वे तर्क तथ्य से परे हैं । इस लिये ये तीनों कारण केवल कारण नहीं होने चाहियें बल्कि वैध होने चाहिये ।

There should be valid reasons for withdrawal.

लेकिन यह तो महज कारण भी नही है । अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूं । उमसभाध्यक्ष जी, चुनाव के अन्दर और बाहुबल की की जो भूमिका आ गयी थी उसमें ऐसा लगने लगा था कि यह भूमिका अब रहेगी, यह भूमिका अब कोई कभी समाप्त नहीं कर सकता । मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूं । लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने धन और बाहुबल की भूमिका को कम करने का काम किया है । आज उसकी सारी शक्तियों को कम करने के लिये आप यह जो बिल लाने का काम कर रहे हैं, आप एक संस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं (**व्यवधान**) मैं एक और बात कहना चाहती हू । यह जो बिल . . (**व्यवधान**) . . यह जो बिल है जिसमें आप ये प्रावधान वापस ले रहे हैं, इस बिल के प्रावधान में था कि स्पीकर लोक सभा और सभापति राज्य सभा की अनुमति से, उनकी सहमति से, उनके सलाह-मश्विरे से – इस पर सरकार का मंततव्य आता है कि स्पीकर लोक सभा और सभापति राज्य सभा रूलिंग पार्टी के लोग हैं, इसलिये उनको रख या न रखें क्या फर्क है । ये तो जो सरकार की सिफारिश होगी उसको मानेंगे ही यहां पर अपना एतराज दर्ज कराना चाहूंगी कि स्पीकर लोक सभा और सभापति राज्य

सभा भले ही किसी राजनैतिक पल से सबध रखते हों लेकिन जब वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम करते हैं तो उनकी निष्पक्षता बिना सवालिया निशान के होती है। इस पर कोई टिप्पणी करना कि वे सरकार की सिफारिशों को मानेंगे ही यह उचित नहीं । यह उनकी निष्पक्षता के ऊपर एक अनुचित टिप्पणी है । इसलिये स्पीकर लोक सभा और सभापति राज्य सभा का इसमें रहना बहुत जरूरी है ।

अब मैं आखिरी बात कहकर बैठना चाहूंगी । चुनाव आयोग . . (**व्यवधान**) अब ये क्यों खड़े हो गये . . (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Let her speak. (*Interruptions*) Please, please, take your seat. Please take your seat. Mrs. Sushma Swaraj, please address the Chair.

SHRI MADAN BHATIA: She is going completely out of the ruling. The Chair has given the ruling in my favour.....(*Interruptions*) She is flouting the ruling given by the hon. Chair.....(*Interruptions*)

THE VICE CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Sushmaji, try to complete.....(*Interruptions*)

Please take your seat, Mr. Malkani Please take your seat. Please don't intervene like this. Please take your seat.....(*Interruptions*) Please, Mr Madan Bhatia. Don't worry.

श्रीमती सुषमा स्वराज : अब मैं आखिरी बात कहना चाहूंगी यह मेरा आरोप है और इसको दर्ज करके मैं बैठना चाहूंगी । मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका के संबधं में जो नया बिल आ रहा है वह भी उससे संबंधित है । लेकिन यह प्रावधान अगर इस बिल से हटा लेंगे, इस बिल को वापस करने के कारण अगर यह प्रावधान चले जायेंगे तो सलाह-मशविरे की प्रक्रिया, जिसकी व्यवस्था इस बिल में की गयी थी, 70वें सशोधन विधेयक में, यह हट जायेगी और इसमें चुनाव आयोग शायद एक निष्पक्ष संस्था नहीं रहेगी बल्कि वह सरकार के चहेतों के पुनर्वास की सस्था बन जायेगी । हम इस संस्था को सरकार के चहेंतों की संस्था नहीं बनने देना चाहते इसलिये हम इस बिल के विदड्राल का विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि सारा सदन इसका पुरजोर विरोध करे और यह बिल वापस न लेने दिया जाय । यह बिल वह है जो सारे दलों की सर्वानुमति से जुड़ा हुआ है । हम चाहते हैं कि 70वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाय और इस बिल को वापस लेने की अनुमति न दी जाय ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदय, मेरे सहयोगी श्रीमती . . . (**व्यवधान**)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Members of only one party are being called.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I am sorry, Madam Alva. I have a list which has been sanctioned by the hon. Chairman I have got a list here. I am not calling anybody on my own. I have a list of seven persons. I am sorry. What can I do ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन, मैं आपका आभारी हू जो आपने नियम का पालन किया है। जिस नियम का भाटिया जी ने उल्लेख किया है उस में साफ लिखा है कि जिनको परमीशन दी गयी है वे बोलेंगे। हमारे सभी साथियों को बोलने की परमीशन दी गयी है वह बोलेंगे लेकिन बाद में बहस में कोई नही बोलेगा, यह बात ध्यान रखें। . . . (**व्यवधान**) . . .

मेरी सहयोगी श्रीमती सुषमा स्वराज

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी): **माथुर साहब, आप मेंबर्स को मत एंट्रस करिये आपको जो कहना है वह चेयर से कहिये।**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं नियम का हवाला दे रहा हूं। भाटिया जी ने जो नियम पढ़ा उसमें उन्होंने कहा इस पर डिसक्रशन नहीं हो सकता है। केवल नुमति दी गयी है वह बोल सकते हैं, इसको वे पढ़ें, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। . . . **(व्यवधान)** . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Yes, you speak. You please speak. Yes, you please speak.....(*Interruptions*) Mr. Mathur, there is no need to get offended. I have already said that I have a list of names which had been sanctioned and approved by the Chairman. So, do not waste the time on these things. Now, you please speak.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : धन्यवाद मेरी सहयोगी श्रीमती सुषमा स्वराज ने बहुत सी बातें कह दी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मेरा आरोप है कि इस बिल को विदड्रा करना पेलाफाइड है। यह दुर्भाव से किया गया है। जिस गोस्वामी रिपोर्ट का उल्लेख किया है, मैं उसमें से एक बात कहना चाहता हूं। पहले रिपोर्ट के अन्दर चीफ जस्टिस की बात की गई थी कि चीफ जस्टिस से सलाह की जाए। स्वयं गोस्वामी जी ने चीफ जस्टिस से बात करने के बाद यह कहा कि चीफ जस्टिस इस बात को नहीं मानते, उन्होंने नकार दिया। इस कारण से उनको अलग हटा कर के बाकी तीन इंस्टीट्यूशंस उन्होंने स्वीकार किये, लोक सभा स्पीकर, राज्य सभा के चेयरमैन और लीडर आफ दी अपोजीशन। कारण क्या था इसके पीछे कि इस प्रकार की विधि बने जिस विधि में केवल सरकार का ही बहुमत न हो। दूसरा आर्टिकल 324 में प्रावधान है कि यदि सदन चाहे तो एक से अधिक इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं।

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (Andhra Pradesh): Sir, I have listened to the two Members on the other side. They have repeatedly mentioned about the Dinesh Goswami Report about the Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha being consulted. This is not true. Iwas a Member of the Committee It had not said so. Please do not mislead the House.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I am not misleading.

SHRI. V. KISHORE CHANDRA S. DEO: I was a Member of that Committee. You ask Advani Ji.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप गलत समझ रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा है। आपको ध्यान नहीं है मैंने कहा कि रिपोर्ट में चीफ जस्टिस से सलाह करने की बात की गई थी लेकिन जब चीफ जस्टिस ने. . . **(व्यवधान)** . . . आप जानते हैं तो दूसरों का ठेका मत लीजिये, आप समझिये इस बात को। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीफ जस्टिस से सलाह की जाए लेकिन चीफ जस्टिस ने सलाह देने से मना किया और यह कहा कि चीफ जस्टिस को मत लो। तब बिल के अन्दर यह प्रावधान किया गया गोस्वामी जी द्वारा कि विरोधी दल के नेता, चेयरमैन और स्पीकर से सलाह ली जाए। यह एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। जैसे मेरी बहन ने कहा कि यह कहा गया है सरकार से लोगों से विभिन्न स्तरों पर बातचीत में कि स्पीकर और चेयरमैन रूलिंग पार्टी के होने हैं इसलिए उनका ओब्जेक्टिव होना बड़ा कठिन है। लेकिन विरोधी दल का नेता भी होना चाहिये . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mathur Sahib, because of constraint of time I will request you not to repeat the points which have already been spoken by your colleague. There should be some limit.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगले प्वाइंट की पुष्टि के लिए बैकग्राउंड देना पड़ता है। आप स्वच्छंद एक प्रकार से आधिपत्य रखना चाहते हैं इसलिए जान बूझ कर के विरोधी दल के नेता को आपने निकाला है और चीफ जस्टिस

ने अस्वीकार कर दिया था उसको आप ले कर आए हैं। You have reversed the recommendations of the Goswami Committee Report.

इसलिए मेरा आरोप यह है कि वह संशोधन जो आप कर रहे हैं, वापिस ले रहे हैं, यह मेलाफाइड है। आप पोलिटिकल परपज के लिए सदन का दुरुपयोग करना चाहते हैं। आप पोलिटिकल परपज के लिए इलेक्शन कमीशन का इस दुर्भावना से दुरुपयोग करना चाहते हैं। मेरी पार्टी इसका विरोध करती है। नम्बर एक, आपने एक प्रकार से टीका किया है चेयरमैन और लोक सभा के स्पीकर पर। नम्बर दो, आपने गोस्वामी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं। नम्बर तीन, चीफ जस्टिस को ला कर के उसके लिए सन्देह पैदा कर दिया है। एक चीफ जस्टिस चाहे तो करे और दूसरा चीफ जस्टिस मना कर दे। लोकतन्त्र का सब से बड़ा तकाजा है प्रमुख विरोधी दल जो भी हो उससे सलाह की जाए। आपने उसको अस्वीकार किया है। आप जानते हैं कोई भी चीफ जस्टिस शायद अपने आप को इस स्थिति में न पाए कि सलाह दे। इसलिए आप इनडाइरेक्टली डेमोक्रेसी का गला घोंट रहे हैं।

This withdrawal is mala-fide. आपकी इंटेंशन मेलाफाइड होने की वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री **प्रमोद महाजन** : उपसभाध्यक्ष जी, संविधान के 70वें संशोधन विधेयक को वापस लेने की विधि मंत्री की इच्छा है। यह मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त की पद्धति के संबंध में है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी स्वतंत्र और निष्पक्ष हो इसकी आवश्यकता है। मैं आज, कल या आने वाले किसी की बात नहीं कर रहा हूं, संस्थागत बात कर रहा हूं कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केवल सरकार द्वारा की जाए तो सरकारी दल जो चुनाव का एक हिस्सा होता है स्वाभाविक रूप से चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने में इसमें समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए वर्षों से इस देश के विभिन्न दलों की यह मांग रही कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते समय केवल सत्ता पक्ष की राय पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न हो। जितने भी राजनैतिक दल या राजनैतिक विचार इसमें आते हैं इनमें किसी न किसी प्रकार की आम सहमति की भावना निर्मित होकर अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है तो यह नियुक्ति स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष और मुक्त चुनाव के लिए आवश्यक होगी। इसलिए जो 70वां संशोधन विधेयक था इस विधेयक में राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता—सत्ता पक्ष और विपक्ष बदलते रहेंगे लेकिन जो सत्ता पक्ष में है उसका भी नेता स्वाभाविक रूप से है क्योंकि सरकार अध्यक्ष के द्वारा सलाह करेगी—उस समय जो प्रमुख विपक्ष होगा उसका भी नेता और दोनों सदनों के अध्यक्ष, इस प्रकार चार व्यक्तियों की व्यवस्था करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को सर्वानुमति से करने का प्रयास इसमें किया गया था। इसलिए मुझे लगता है और मैं नहीं जानता कि सरकार के मन में इसमें कौन-कौन से निर्णय बदलने की इच्छा है। वे जब आएं तब उसकी बात करें। लेकिन एक निश्चित रूप में है कि जब सरकार इस संशोधन को वापस लेना चाहती है तो इसका अर्थ यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की यह जो पद्धति है यह सरकार को मान्य नहीं तथा किसी और पद्धति से शायद सरकार इसको लेना चाहती है। चूंकि मैं स्वयं और मेरा दल यह मानता है कि 70वें संशोधन में जो पद्धति दी गयी है यह पद्धति सर्वोत्तम पद्धति है। इस पद्धति में जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा—यह मुख्य चुनाव आयुक्त स्वाभाविक रूप से सरकार भी, विपक्ष भी और दोनों सदनों के अध्यक्षों की सहमति से जब नियुक्त होगा तो उसके प्रति लोगों का विश्वास, आस्था और ताकत बनी रहेगी। जब इतना सुन्दर विवेचन

[श्री प्रमोद महाजन]

इस 70वें संशोधन विधेयक में है तो इसको वापस लेने का मेरी दृष्टि में कोई अर्थ नहीं बनता बल्कि मैं सदन से यह अपील करूंगा कि इसमें बिना बहस किये हुए दो मिनट के अंदर इस 70वें संशोधन विधेयक को हम पास कर दें, इसको पारित कर दें। इसको वापस करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं कांग्रेस के सदस्यों के सदविवेक और बुद्धि का आवाहन कर सकता हूं लेकिन कम से कम मैं चतुराननजी से आग्रह करूंगा कि जो दल दिनेश गोस्वामी जी की सरकार से संबंधित था--जयपाल रेड्डी जी यहां बैठे हैं, सत्य प्रकाश मालवीय जी यहां बैठे हैं--कम से कम जो दल..(व्यवधान) वे स्वयं थे... (व्यवधान) इसलिए जो दल..

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी): कृपया संक्षेप में।

श्री प्रमोद महाजन : मैं पुराने मुद्दे तो नहीं बोल रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : फिर भी समय तो सीमित है।

This is not a discussion. You have to be brief. You have to take note of the rules. I have given my ruling. You have to complete within two minutes. This is not a discussion. I understand the importance of the subject. But this is not the time to make a speech. You can have a full discussion when the Bill comes up. Now, you have to make a brief explanatory statement. That's all.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Would you allow me to speak?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please conclude within two minutes.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I am not speaking anything on introduction. I am not speaking anything on the new system which is likely to be introduced. When the Government wants to withdraw the whole system at least, I have to make a comment on that.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): But comment within a limited time.

श्री प्रमोद महाजन: कैसे, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप किसी को इसी प्रकार बुलडोज करना चाहते हैं... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): You cannot cast aspersions on the Chair, Mr. Mahajan. This is not the way. Please conclude within two minutes. I am not going to give you time beyond two minutes. The Chair is not going to... (*Interruptions*). Please take your seat, Mr. Jogi.

श्री प्रमोद महाजन : मैं इतना ही कह रहा था, प्लीज़, टू मिनट।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : प्लीज़, बोलिए। बोलने पर मेरी आपत्ति नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : मैं इतना ही कह रहा था कि कम से कम जो दल इस विधेयक को लाने में थे, जो व्यक्ति इस विधेयक को लाने से जुड़े थे और जिन्होंने इस विधेयक की सरकार को समर्थन किया था या आगे जाकर मैं कह सकता हूं कि जो दल ये मानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष का नेता, सत्ता पक्ष का नेता और दोनों सदनों के अध्यक्ष, इन चारों की सहमति अध्यक्ष ले, अगर यह सर्वोत्तम पद्धति है तो उन दलों के और व्यक्तियों की विवेक बुद्धि से मैं अपील करता हूं कि वह इसे वापस लेने के लिए विधि मंत्री को अनुमति न दें और मैं विधि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इसको वापस लेने की बजाय अगर आप पारित करने का निर्णय करें तो दो मिनट के अंदर कम से कम चीफ इलैक्शन कमिश्नर की पोस्ट यह बहुत अच्छे

तरीके से नियुक्त होने की नई पद्धति कर आप संविधान में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ेंगे उसमें काला पृष्ठ जोड़ने का प्रयास मत करिए। इतनी ही मेरी प्रार्थना है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, यह संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990, 30 मई, 1990 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और जहां तक मैं समझता हूं कि चार साल एक माह हो चुका है और शायद यह पहला उदाहरण है कि चार साल एक माह तक राज्य सभा के विचाराधीन कोई बिल हो और उसको वापस लेने के लिए सरकार की ओर से कार्यवाही की गई हो। दूसरे जिस ओर चर्चा किया गया, सदन के सदस्य श्री किशोर चन्द्र एस. देव जी ने ध्यान भी आकर्षित किया और मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं कि उनकी इस किताब को भी मुझे पढने का मौका मिला है जिसका नाम है "चेंजिंग इंडियाज़ पोलिटीकल मूड" इस सदन के दो सदस्य श्री चिमनभाई मेहता और श्री किशोर चन्द्र देव, गोस्वामी कमेटी के मैंबर थे। गोस्वामी कमेटी ने चीफ इलैक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में स्पष्ट अपनी संस्तुति दी थी कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो विपक्ष के नेता हैं, उनके सलाह-मशविरा से किया जाए और जो कंसल्टेशन का प्रोसैस है इसको भी अमली जामा पहनाया जाए। उसी के आधार पर यह संविधान (सत्तरवां-संशोधन) विधेयक श्री दिनेश गोस्वामी ने स्वयं 30 मई, 1990 को प्रस्तुत किया और उसमें भी उन्होंने निर्वाचन सुधारों संबंधी जो समिति है इसका उन्होंने जिक्र किया था। मैं प्रमोद महाजन साहब की इस बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि जो यह विधेयक है जिसको वापस लिया जा रहा है इसको पास करने में इस सदन को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी इस सदन के सदस्य हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, 12 उसमें सदस्य थे और जितने भी राजनीतिक दल थे सब उसमें रिप्रेज़ेंटेड थे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अब क्या विधेयक लाया जाए इसकी तो मुझे जानकारी है नहीं, क्योंकि जो विधेयक लाया जाएगा वह भी राज्य सभा के सदस्यों के बीच में बांटा नहीं गया, लेकिन कम से कम इसमें जो इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष और लोक सभा में विपक्ष के नेता तथा जहां ऐसे कोई नेता उपलब्ध नहीं हैं, वहां उस सदन के बहुसंख्यक विरोधी गुट के नेता से परामर्श करके किया जाए।

इसलिए मैं आज भी सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो दिनेश गोस्वामी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, उसी विधेयक को स्वीकार करें और इनका जो प्रस्ताव है मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : एक मिनट, उपसभाध्यक्ष महोदय, जरा उन्होंने अपील की थी और हम लोगों का नाम आया था। अगर आप इजाजत दें?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Shri Chimanbhai Mehta. (*Interruptions*). I have identified Mr. Mehta. I am sorry.

श्री चिमनभाई मेहता (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में काफी चर्चा इधर हुई है, मैं कोई बात दोहराना नहीं चाहता। लेकिन एक या दो प्वायंट पर मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनेश गोस्वामी कमेटी में मल्टी मैंबर कमीशन की बात है और वह उस बात पर भी सब लोगों को तय रहना चाहिए। सिर्फ एक मेंबर कमीशन पर कनसंट्रेशन करने के बजाय It is a multi-Member Commission. That was proposed by the Dinesh Goswami Committee.

[श्री चिमनभाई मेहता]

और यह जो पॉइंट है (व्यवधान) नहीं, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। That is very difficult तो अब दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट के बारे में जो बात है, Sir, it was a unanimous decision. उसके बाद यहां बिल आ गया। अब उनमें से I do not understand whether the Babri Masjid was demolished or not. उसका रिलेवेंस नहीं है। Because if BJP is doing something good, I support it. And if you do something good, I can support you also. If they do something good, I can support them also. I may not agree with their philosophy.....(*Interruptions*)...No, no; you must realise that Mr. Bhagat was a Member of the Dinesh Goswami Committee. The Report was passed unanimously and you owe an explanation not only to this House but to the entire nation also, that on such a vital and important matter of electoral reforms why you are going back. It is a very very important matter. You are saying that mafias are taking over booths, election is polluted. And you don't want to explain your conduct of withdrawal! Why are you withdrawing from such a unanimous Report?

श्री एस०एस० अहलुवालिया : आप तो मिनिस्टर थे, फिर काहे उधर साथ छोड़कर आ गए। अब आप यहां प्रिंसिपल की लड़ाई की बात करते हैं।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I will explain to you. That Reort was a unanimous Report. The Bill was proposed by Shri Dinesh Goswami and it was based on that persons or people like me—I do not know about other parties—cannot go back from that. And if I do, I may be defeated but.....(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Don't interrupt. Let him complete.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I demand a division on this point because this is such an important matter. It may suit them to support a one-man Commission. I do not agree with them. But that was a unanimous Report after a lot of deliberations. And, Sir, I should know one thing. When they are withdrawing this Bill, they are not saying what the big changes are that they want to bring about. And even if they do not give the changes, the proposed changes. आप एक चीज को हटाने हैं तो नयी चीज क्या खड़ी करना चाहते हैं, वह भी नहीं बताते। Therefore, it is very difficult to agree with them, because I do not know all this. I am kept in the dark. If they can give us better electoral reforms than this Dinesh Goswami Committee Report, I may support them. But that is not the point because you are talking of consultation only with the the Chief Justice of the Supreme Court. This is what I heard from the newspapers. And Sir, consultation means nothing. It cannot be binding on them. They are just consulting the Member. People are being hoodwinked. Consultation means concurrence. But consultation with the Chief Justice does not mean concurrence. The Chief Election Commission will be only a Government's nominee and that will definitely adversely affect the functioning of our democracy. I again appeal to you to restrict yourself to the Dinesh Goswam Committee Report and we will support you. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Thank you very much.....(*Interruptions*)...

(THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I will again put the question to vote. the question is:

That leave be granted to withdraw the Constitution (Seventieth Amendment) Bill, 1990.

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Ayes ... 114
Noes ... 48

AYES--114

Adik, Shri Govindrao
Ahluwalia, Shri S. S.
Alva, Shrimati Margaret
Ansari, Shri Jalaludin
Antony, Shri A. K.
Aram, Dr. M.
Austin, Shri S.
Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj
Baby, Shri M. A.
Balanandan, Shri E.
Balaram, Shri N. E.
Balbir Singh, Shri
Barongpa, Shri Sushil
Basu, Shri Nilotpal
Bhardwaj, Shri Hansraj
Bhatia, Shri Madan

Chaturvedi, Shri Bhuvnesh
Chavan, Shri S. B.
Chellappa, Shri V. Rajan

Dard, Shri Jagir Singh
Dasgupta, Dr. Biplab
Das Gupat, Shri Gurudas
Deo, Shri V. Kshore Chandra S.
Desai, Shri Jagesh
Dhawan, Shri R. K.
Dronamraju, Shri Satyanarayana
Dutta Dr. B. B.

Fernandes, Shri. John F.
Fotedar, Shri Makhan Lal

Gadgil, Shri V. N.
Giri Prasad, Shri N.
Goswami, Shri Ramnarayan

Hanumanthappa, Shri H.
Hariprasad, Shri B. K.
Hashim, Shri M. M.
Hiphei, Shri.

Iqbal Singh, Shri

Jayadevappa, Shri K. R.
Jichkar, Dr. Shrikant Ramchandra
Jitendra Prasada, Shri
Jogi, Shri Ajit P. K.

Kalita, Shri Bhubaneswar
Kalmadi, Shri Suresh
Kalyan, Shri Mohinder Singh
Kataria, Shri Virendra
Khan, Shri K. M.
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd, Masud
Khaparde, Miss Saroj
Korwar, Shri Gundappa
Krishnan, Shri G. Y.

Ledger, Shri David

Madhavan, Shri S.
Mahendra Prasad, Shri
Maheshwari, Shrimati Sarala
Majji, Shri Tulasidas
Majumdar, Shri Sudhir Ranjan
Malaviya, Shri Radhakishan
Malhotra, Shri Jayant Kumar
Mani, Shri S. Muthu
Manmohan Singh, Shri
Matang Sinh, Shri

Md. Salim, Shri
Meena, Shri Moolchand
Mishra, Shri Chaturanan
Mishra, Shri Jagannath
Mitra, Shri Ashok
Mohammad Yunus, Shri
Mukherjee, Shri. Dipankar
Mukherjee, Shri. Pranab

Nallasivan, Shri A.
Narayanasamy, Shri V.
Natarajan, Shrimati Jayanthi
Nomani, Maulana Habibur Rahman

Pachouri, Shri Suresh
Pande, Shri Bishambhar Nath
Pandey, Shrimati Chandra Kala
Pandian, Shri N. Thangaraj
Parmar, Shri Rajubhai A.
Patel, Shri Ahmed Mohmedbhai
Patil, Shri Shivajirao Giridhar
Pillai, Shri Ramachandran
Pillai, Shri Thennala Balakrishna
Pragada Kotaiah, Shri

[The Deputy Chairman]

Rai, Shri Ratna Bahadur
Ramachandran, Shri S. K. T.
Ramji Lal, Shri
Rao, Shri V. Hanumantha
Rao, Shri. V. Rajeshwar
Razi, Syed Sibtey
Reddy, Shri G. Prathapa
Reddy, Shri T. Venkatram
Roy, Shri Jibon
Sahu, Shri Rajni Ranjan
Salve, Shri N. K. P.
Sanadi, Prof. I. G.
Sarma, Shrimati Basanti
Satchidananda, Shri
Sharma, Shri Venod
Shinde, Shri Sushilkumar Sambhajirao
Singh, Shri K. N.
Singla, Shri Surinder Kumar
Solanki, Shri Madhavsinh
Surjewala, Shri S. S.
Swaminathan, Shri G.

Thakur, Shri Rameshwar
Topden, Shri Karma

Upendra, Shri P.

Verma, Shrimati Veena

Yadav, Shri Ish Dutt
Yadav, Ravi Dr. Ramendra Kumar
Yadav, Shri Ram Gopal
Yadava, Shri Bal Ram Singh
Yonggam, Shri Nyodek

NOES--48

Agarwal, Shri Lakkhiram
Agarwal, Shri Ramdas
Agarwal, Shri Satish
Agarwalla, Shri Parmeshwar Kumar

Bakht, Shri Sikander
Bhandari, Shri Sunder Singh

Chanpuria, Shri Shivprasad

Chaturvedi, Shri Triloki Nath

Dave, Shri Anantray Devshanker
Gautam, Shri Sangh Priya
Gupta, Dr. Ishwar Chandra
Gupta, Shri Narain Prasad

Jagmohan , Shri
Joshi, Dr. Murli Manohar
Judev, Shri Dilip Singh

Katara, Shri Kanak Mal
Kohli, Shri O. P.
Kovind, Shri Ram Nath

Mahajan, Shri Pramod
Maheshwar Singh, Shri
Majumdar, Shri Tara Charan
Malaviya, Shri Satya Prakash
Malhotra, Prof. Vijay Kumar
Malkani, Shri K. R.
Mangrola, Shri Kanaksinh Mohansinh
Mathur, Shri Jagdish Prasad
Mehta, Shri Chimanbhai
Miri, Shri Govindram

Paswan Shri Kamleshwar
Patel, Shrimati Anandiben Jethabhai
Patil, Shri Gopalrao Vithalrao
Pradhan, Shri Satish

Raghavji, Shri
Rajagopal, Shri O.
Ram Ratan Ram, Shri

Sarang, Shri Kailash Narain
Sharma, Shrimati Malti
Shastri, Shri Vishnu Kant
Shukla, Shri Chimanbhai Haribhai
Singh, Dr. Naunihal
Singh, Dr. Ranbir
Singh, Shri Raj Nath
Singh, Shri Shiv Charan

Sushma Swaraj, Shrimati

Varma, Prof. Ram Bakhsh Singh
Vizol, Shri

Yadav, Shri Janardan

Yerra, Narayanaswamy Shri

The Motion was adopted

Shri H. R. BHARDWAJ Madam, I withdraw the Bill,

डा० मुरली मनोहर जोशी: मैडम, पांच बज गए हैं, हाउस को एडजार्न करें ।

उपसभापति: एक मिनट, भारद्वाज मैं आपको समझाऊं कि जो अभी हसराज जी ने संविधान का 70वां संशोधन विधेयक विड्रा कराया है, उसके साथ ही जुड़ा है यह ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह दूसरा है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है :

उपसभापति : बिजनेस में लिखा हुआ है मालवीय जी । That is why I am asking. I want the sense of the House.

SOME HON. MEMBERS : Madam, adjourn the House.

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैडम अब हाउस एडजार्न करें ।

कई माननीय सदस्य : मैडम, हाउस एडजार्न करें ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : न कोई रेज़ोल्यूशन मूव एग्रव हुआ है, न बिजनेस एडवाज़री कमेटी ने एग्रव किया है कि हाउस पांच बजे के बाद बैठे । इसलिए सवाल ही नहीं उठता दूसरा कोई बिजनेस लेने का ।

उपसभापति : एक मिनट । लीडर आफ दि हाउस कुछ कह रहे हैं, उन्हें कह लेने दीजिए ।

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI S. B. CHAVAN) : There is a lot of business which has to be finished. There are two options before us.

उपसभापति : एक मिनट बैठिए । लीडर आफ दि हाऊस कुछ कहना चाह रहे हैं ।

SHRI S. B. CHAVAN : One is, we should agree to extend the House. The second is, we should agree to sit late and finish the business. In fact, there are a large number of Members who expressed the view that they would prefer sitting late in the night and finishing the business. But there are others also who are saying that we extend the session. Today we have practically done nothing. I request the Opposition Members to kindly co-operate.

श्री सिकन्दर बख्त : चव्हाण साहब, यह जो चंद दिन का नया सत्र बुलाया गया है, यह एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है । सारी दुनिया के बिजनेस इन 3–4 दिनों में रखने का आप लोगों का इरादा नहीं था लेकिन इत्तफनक से अगर 3–4 दिन मिल गए है तो इतना बिजनेस है और उसको निकालना है दलील देना बिल्कल बेमानी है । कोई मतलब नहीं है इसका ।

†شری سکندر بخت : چوان صاحب یہ
جو چند دن کا نیا ستر بلایا گیا ہے یہ ایک
خاص مقصد کے لئے بلایا گیا ہے ۔ سارا دنیا
کے بزنس ان تین، چار، دن میں رکھنے کا
ارادہ نہیں تھا ۔ لیکن اگر اتفاق سے تین
چار دن مل گئے ہیں تو اتنا بزنس ہے اس کو
نکالنا ہے یہ دلیل دینا بالکل بے ایمانی
ہے ۔ کوئی مطلب نہیں ہے اس کا ۔

डा० मुरली मनोहर जोशी : आप सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा सकते हैं लेकिन अब 5 बज गए हैं बल्कि 5 बजकर 6 मिनट हो गए हैं । आज न तो कार्य-परिषद् ने इस बारे में कोई प्रस्ताव किया, न हाऊस से पहले प्रस्ताव पास कराया गया । इसलिए मेरा आपसे स्पष्ट अनुरोध है कि आप सदन की कार्यवाही समाप्त करके हाऊस ऐडजार्न कर दें ।

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदया, पहले दिन हाऊस कभी 5 बजे के बाद नहीं बैठा ।

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal) : Madam, we prefer the business to continue today.

श्री सैयद सिब्ते रजी : महोदया, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि हाऊस की गरिमा का तकाजा रहा है कि जब कभी कोई जरूरी बिजनेस आया है तो हाऊस का सेंस लेने के बाद, वैसे तो बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी में भी बात होती है लेकिन हाऊस जो है, वह सुप्रीम है । तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हाऊस का सेंस लेने के बाद उस बिजनेस को पूरा किया जाता है । आज ज्यादातर मेम्बरान ये समझ रहे हैं कि यह एक महत्वपूर्ण इशू है और इस इशू को आज ही समाप्त होना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अपनी रूलिंग दें और सेंस आफ दि हाऊस लेने के बाद हाऊस चलाए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I want to say that this is not a new session. It is the continuation of the previous session and a decision was taken that we should only adjourn the House. It is not a new session. The decision of the Business Advisory Committee prevails now also unless and until it takes a different decision.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : महोदया, हाऊस एक्सटेंड करने का प्रस्ताव 5 बजे के पहले आ सकता था, अब आना उचित नहीं है । इसलिए अब इस पर विचार न किया जाए ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal) : May I make a submission, Madam ? Today we have discussed the matter. It is not for me to report. It is for the Ministers who attended the meeting to report. I don't go into the formalities whether we should extend the House or sit late. Since there is a request from the Leader of the House, let us concur with him, let us sit a little late and take care of the business. At the same time. I don't agree with the Leader of the House that we have wasted the time because if anybody has to be held responsible..(*interruptions*)..

THE DEPUTY CHAIRMAN : Nobody. Let us not talk about that.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : It is not us. It is the refusal of the Prime Minister to come to the House which resulted in the wastage of the time.

THE DEPUTY CHAIRMAN : That matter is now settled.

SHRI K. R. MALKANI (Delhi): What does it mean by 'a little late' ? Does it mean 5 minutes, 15 minutes or five hours ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : It may be up to 6.00 p.m. or beyond that to finish the business.

SHRI M. A. BABY (Kerala) : Today morning an hon. colleague of mine, Shri Gautam, had raised a very relevant issue of convening this particular session and the monetary burden involved in this. I appreciate his point. Now the hon. Member is asking for adjourning the House immediately. Is it not something which contradicts his earlier statement ? Therefore, my only submission is that we should continue with the business of the House. Now there is a serious business that we have to transact. Therefore, we should continue with the business. This is my only submission.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh) : This is not the only point. The point is, this session is meant only for considering the Electroral Reforms Bill, There is no other business.

SHRI V. NARAYANASAMY : Then, why did they raise the sugar issue here ? If that is the case, why did they bring in the sugar issue ? (*Interruptions*)

SHRI PRAMOD MAHAJAN : So, this three-day Session was totally unnecessary irrelevant. We could have taken up this business in the Monsoon Session. So, it is an entire wastage of time since the morning, including these two minutes.. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN Now, let us not.. (*Interruptions*)

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu) : They are wasting the entire economy of the country and they are talking about the wastage of time.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let us not consume any more time and I will call Mr. Hansraj Bhardwaj to move for leave to withdraw the Rrepresentation of the People (Amendment) Bill, 1990.

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1990

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : Madam, I beg to move for leave to withdraw the Representation of the People (Amendment) Bill, 1990.

I want to say one or two points on this issue. I would like to remind the House that the hon. Leader of the Opposition and other Members said that we were giving a go-by to the Dinesh Goswami Committee recommendations. I would urge upon them to kindly read this whole Bill. This Bill contains all measures and proposals which the Dinesh Goswami Committee had recommended and we are acting on the basis of those recommendations. But, in the meantime, Madam.. (*Interruptions*)

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar) : Which Bill are you talking about ?

SHRI H. R. BHARDWAJ : The Representation of the People (Amendment) Bill which we are proposing to bring.

SHRI CHATURANAN MISHRA : That is a separate Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN : He is referring to the leave to withdraw the Representation of the People (Amendment) Bill, 1990. which is pending before us.

SHRI H. R. BHARDWAJ : I was just referring to what was said. that we were not acting on the Dinesh Goswami Committee recommendations. I am assuring this House that so far as the Government is concerned, we have given a serious consideration to the recommendations of the Dinesh Goswami Committee. We had a series of meetings with the Leaders of the Opposition. Most of them have attended these meetings. In respect of what has emanated from these meetings, we have accommodated certain views.. (*Interruptions*) If you will kindly permit me...(*Interruptions*)

उपसभापति : अच्छा माथुर साहब, अभी लायल और डिसलायलिटी का सवाल बाद में आएगा। उनको बोलने तो दीजिए। He is talking not about loyalties but he is talking about withdrawal. Please let him speak.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : ....(**व्यवधान**) जो लायल